वरीय परियोजना अभियंता का कार्यालय
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल भागलपुर।

।। अल्पकालीन मदवार दर आमंत्रण सूचना ।।

(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर)

निविदा संख्या– 1201 / भागलपुर, दिनांक:– 22/XI/16

भागलपुर जिलान्तर्गत कोशी नदी पर नवगछिया एवं ढोलबज्जा बाजार के बीच पीपा पुल (28 सेट) लगाने, मरम्मति, क्षतिग्रस्त सामानों की मरम्मति कम पड़े सामानों की आपूर्ति के साथ पीपा पुल लगाने, पीपा पुल रख–रखाव करने एवं बाढ़ आने से पूर्व अगले वर्ष लगाये जाने तक सुरक्षित रखने के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में लगाये जाने तक सुरक्षित रखने का कार्य हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 / केन्द्रीय / राज्य सरकार / एम0ई0एस0 / सी0पी0डब्लू0डी0 / बिहार राज्य विघुत बोर्ड / सार्वजनिक क्षेत्र में निबंधित अनुभवी संवेदको से दो बीड प्रणाली (तकनीकि एवं वित्तीय) के अन्तर्गत दर आमंत्रित किये जाते है। यदि संवेदक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में पूर्व से निबंधित नही है, तब एकारानामा के पूर्व उन्हें निगम के समुचित श्रेणी में निबंधित होना अनिवार्य होगा।

क्र.	जिला	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू० में)	अग्रधन की राशि (लाख रू० में)	Bid Processing Fee (Online Payment) (अप्रत्यापर्णीय राशि(रू0 में)	कार्य की अवधि	
							(क) पुल लगाने की अवधि	(ख) पुल खोलने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भागलपुर	भागलपुर जिलान्तर्गत कोशी नदी पर नवगछिया एव ढोलबज्जा बाजार के बीच पीपा पुल (28 सेट) लगाने,मरम्मति, क्षतिग्रस्त सामानों की मरम्मति, कम पड़े सामानो की आपूर्ति के साथ पीपा पुल लगाने, पीपा पुल का रख–रखाव करने एव बाढ़ आने से पूर्व अगले बर्ष लगाये जाने तक सुरक्षित रखने का कार्य) कुल लंबाई – 341.50 मी0	66.92	10000.00	1.34	5750.00	15(पन्द्रह) दिन	10(दस) दिन
							01(एक) वित्तीय वर्ष के लिए	

2. बीड पत्र प्राप्त करने की अवधि एवं समय :दिनांक–26.11.2016 से 02.12.2016 को अपराह्न 3.00 बजे तक सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।

3. बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक– 03.12.2016 को अपराह्न 3.00 बजे तक वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।

4. परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि का हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि एवं समय: 05.12.2016 को अपराह्न 3.00 बजे तक

5. तकनीकी बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक– 05.12.2016 को अपराह्न 3.30 बजे वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।

6. निविदा की वैद्य अवधि : निविदा खोलने की तिथि से 120 दिन तक।

7. क्रमांक 2, 3 एवं 4 (निविदा संबंधित तिथि) में किसी दिन अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस मान्य होगा तथा अलग से इसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

8. तकनीकी बीड में सफल संवेदकों का ही वित्तीय बीड सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर खोला जाएगा।

9. ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को www.eproc.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा। यह उन्हें वेबसाइट (www.eproc.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ ई–टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनिवार्य है।

10. ई–निविदा पत्र, अन्य नियम एवं शर्त्तें वेबसाईट (www.eproc.bihar.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है।

11. संवेदक द्वारा परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रानिक निविदा पत्र को भर कर भेजना है। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। दिनांक 17.12.2016 अपराह्न 3.00 बजे तक वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल भागलपुर / उप मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना में परिमाण विपत्र का मूल्य, Bid Processing Fee की प्राप्ति रसीद एवं अग्रधन की राशि को मूल रूप से जमा करना अनिवार्य है।

12. किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शुद्धि पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।

13. ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं पंजीकरण हेतु ई–प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, बैंक ऑफ इण्डिया बिल्डिंग, प्रथम तल्ला, एम०/22, श्री कृष्णानगर, रोड नं० – 25, पटना (दूरभाष संख्या–0612–2523006, मो0नं0–9939035696/7542026164) से सम्पर्क किया जा सकता है।

14. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा वेबसाइट www.brpnnl.nic.in/ www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है। सम्पर्क पदाधिकारी का नाम –

    1. ई0 कासिम अंसारी, वरीय परियोजना अभियंता एवं मोबाईल नं० +919431088323
    2. ई0 राम इकबाल सिंह यादव, परियोजना अभियंता एवं मोबाईल नं0 +919470001970

ह0

वरीय परियोजना अभियन्ता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल भागलपुर।

नियम एवं शर्ते :-

1- निविदा / दर प्रस्ताव के साथ अग्रधन की राशि निम्न रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।

(i) कॉलम 5 में परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नही जायेगा) किसी भी राष्ट्रीय बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो **वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, भागलपुर, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के पदनाम से निर्गत हो।**

(ii) कॉलम 6 में अग्रधन की राशि को निम्न रूप से संलग्न करना अनिवार्य है जो **वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, भागलपुर, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के पदनाम से प्रतिज्ञित होगा।**

(a) बिहार राज्य से निर्गत, बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा/NSC/KVP

(b) एक करोड से उपर के परियोजना के लिए भार्त्तरहित बैंक गारंटी भी (बीड पीरियड के 45 दिनों बाद तक वैद्य) स्वीकार्य होगें जो किसी भी अनुसूचित भारतीय बैंक से निर्गत हो (बिहार राज्य के बाहर के बैंक से निर्गत की स्थिति में, एकरारनामा के पूर्व बिहार राज्य अन्तर्गत किसी अनुसूचित बैंक में परावर्तित कराना होगा)।

(iii) कॉलम–7 में अंकित राशि जो Bid Processing Fee ऑनलाइन मोड यानि इंटरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट काड/डेबिट कार्ड) नेट बैंकिग एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

(a) "Bid Processing fee is mandatory to be paid through online mode i.e., internet payment gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS"

(b) Bids along with necessary online payment must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of tender/Non Reconciliation of online payment caused due to None-availability of internet connection, Network Traffic/Holiday or any of the reason.

2- संवेदक को तकनीकी बीड में निम्न अर्हत्ता अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा तथा समस्त प्रमाण पत्रों (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) को स्कैन कर अपलोड (UPLOAD) करना अनिवार्य है। निविदा प्राप्ति के बाद कोई कागजात/प्रमाण–पत्र आदि स्वीकार्य अथवा विचार योग्य नही होगा।

(i) आयकर PAN/TAN, वाणिज्य कर एवं श्रम विभाग में निबंधित होने का प्रमाण पत्र।

(ii) संवेदक को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिश्ठान द्वारा (क) Debar (ख) Black listed एवं (ग) विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर Rescind, न होने की सूचना का शपथ पत्र। भापथ पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि एवं प्राप्ति की तिथि के बीच की अवधि का होना अनिवार्य है।

(iii) विगत पॉच वित्तीय वर्षो में से किसी एक वित्तीय वर्ष का Civil Construction work से संबंधित कार्य का ऑडिटेड टर्न ओभर (A.T.O) जिसमें निविदित कार्य विशेष के अनुमानित लागत का किसी एक वर्ष मे कम से कम 40% के समतुल्य होना अनिवार्य है।

(iv) संवेदक को उनके जिम्में, सम्पादित किये जा रहे अन्य कार्यो के एकरारनामा की राशि, बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सम्पादित किये गये कार्यो की राशि एवं सम्पादन हेतु अवशेष कार्यो की राशि की स्पष्ट विवरणी, यदि कोई कार्य नही भी है तो भी शपथ पत्र के माध्यम से शून्य प्रतिवेदन करना अनिवार्य है।

(v) उपरोक्त बिन्दु (ii), (iii) एवं (iv) से संबंधित शपथ पत्र का प्रारूप वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

(vi) संवेदक द्वारा bid amount का न्यूनतम 25 प्रतिशत invest करने का शपथ पत्र। शपथ पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि एवं प्राप्ति की तिथि क बीच के अवधि का होना अनिवार्य है।

(vii) विगत पॉच वित्तीय वर्षो के अन्दर, किसी एक वित्तीय वर्ष में 170.75 मीटर लम्बाई में पीपा पुल लगाने का अनुभव (सरकारी/ अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा निर्गत)।

(viii) **Bid Capacity का निर्धारण B.C=(AxNx2-B) के आधार पर किया जायेगा, जिसे Technical Sheet में परिभाषित किया गया है।**

3- (i) प्रत्येक मदों का दर अंको के साथ साथ शब्दों में अंकित करते हुए अपलोड करना होगा।

(ii) निविदित दर, प्रभावी अनुसूचित दर से कम दिये जाने के स्थिति में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 3376 (E) दिनांक 17.08.2010 के कंडिका 4 में दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन किया जायगा।

(iii) सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 2046 (S) दिनांक 06.03.2014 के अनुसार प्रतिशत दर पद्धिति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित की जाती है। **10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धत रहने वाले निविदाएं अमान्य मानी जायगी।**

(iv) निविदा में, अन्तिम रूप मे संवेदक का चयन होने के पश्चात एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कार्यालय में निबंधन कराना अनिवार्य है अन्यथा उनके पक्ष में किये गये कार्यावंटन को रद्द कर दिया जायेगा। भविष्य में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं उनका अग्रधन राशि जब्त कर लिया जायेगा।

4- (i) पीपा पुल से संबंधित यंत्र–संयंत्र के स्वामित्व से संबंधित प्रमाण–पत्र (शपथ पत्र के साथ) होना चाहिए विभागीय पदाधिकारी अथवा परियोजना अभियंता द्वारा कार्य से संबंधित, यंत्र–संयंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

(ii) तकनीकी बीड में एक पृथक पृष्ठ (चेकलिस्ट) पर समस्त वांछित सूचनाओं यथा अग्रधन, कार्य संबंधी अर्हता, कार्य–अनुभव, निबंधन आदि को पृष्ट संख्या के साथ अंकित करते हुए अपलोड (UPLOAD) होना चाहिए।

5- निविदा दाता को सलाह दी जाती है कि निविदा देने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर लें एवं कार्य स्थल की स्थिति तथा अन्य स्थितियों को पूर्ण अवगत हो लें। कार्य आवंटन के पश्चात् कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित अन्य कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर एकरारनामा में निहित शर्त्तों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

वर्ष 2016-17 के लिए

(क) पौन्टुन पुल का रिसेटिंग, जेटी एवं पहुँच पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि– कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों में।

(ख) मौनसून आने से पहले पौन्टुन को खोलकर (Dismantle) नदी के किनारे सुरक्षित रखना – 10 दिनों में।

(ग) पौन्टुन पुल का रख–रखाव – पौन्टुन लगाने से खोलने तक।

(घ) वर्षा ऋतु में पौन्टुन को नदी किनारे ऐनकर लगाकर रखना तथा नदी के जलस्तर घटने –बढ़ने के अनुसार ऐनकर की लम्बाई को घटा–बढ़ाकर पन्टुन को जलस्तर के साथ रखना–लगभग 7 माह।

(ङ) पीपा पुल लागने के साथ–साथ ईंट सोलिंग कार्य अनिवार्य है। यदि कार्य समाप्ति की अवधि बीत जाने के बाद ईंट सोलिंग कार्य किया जाता है, तो विपत्र से प्रतिदिन रू० 2,000.00 (दो हजार रूपये) की दर से कटौती कर ली जायेगी।

6- दस्तावेज की मूल प्रति को सक्षम पदाधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

7- बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा अनुमोदित ब्रांड का स्टील अवयव एवं ग्रेड सीमेंट का व्यवहार करना संवेदक द्वारा अनिवार्य होगा।

8- ओभर हेड मद के अन्तर्गत होने वाले व्यय यथा गुण नियंत्रण, गोदाम निर्माण–सह–स्थल कार्यालय का निर्माण बिजली, पानी, पर्यवेक्षण हेतु वाहन एवं वैट इत्यादि का वहन संवेदक द्वारा किया जायेगा।

9- प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।

10- निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग / निगम द्वारा देय नहीं होगा।

11- निविदाकारो द्वारा फर्जी/गलत अनुभव प्रमाण–पत्र या निविदा से संबंधित अन्य गलत कागजात प्रस्तुत करने या देने पर, जमा अग्रधन की राशि को जप्त कर ली जायेगी।

12- सशर्त्त बीड स्वीकार्य नहीं होगा। निगम के नियमावली अंतर्गत कार्य सम्पन्न होगा।

13- अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए दर आमंत्रण (निविदा) को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

वरीय परियोजना अभियन्ता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल भागलपुर।

ज्ञापांक :– भागलपुर, दिनांक:–

प्रतिलिपि :–उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पटना को हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र एवं एक उर्दू समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु पाँच प्रतियों में एक सी0डी0 के साथ समर्पित किया जाता है।

अनु0–यथोक्त।

वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल भागलपुर।

ज्ञापांक :—   भागलपुर, दिनांकः—

प्रतिलिपि :—सूचना पट पर प्रचार—प्रसार प्रसारण हेतु प्रेषित।

ह0

वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल भागलपुर।

ज्ञापांक :— 1201   भागलपुर, दिनांकः—22/XI/16

प्रतिलिपि :—बेवसाईट इंचार्ज, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.11.16

वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल भागलपुर।